—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 16/2020

उनवान

1. नेकीराम पुत्र गणेश
2. कैलाश
3. भागचन्द पि. नेकीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. शोभागमल
2. शैतान
3. शौकीन पि. रामकिशन समस्त जाति जाट निवासी गाम सनोद, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 3 जरिये अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन
4 जरियें राज. पैरोकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 26.11.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 4042 रकबा 0.19 की आराजी प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण खेतीबाडी कर अपने परिवार का पालन करते है। उक्त आराजी के सामने खसरा नम्बर 4039 व 4040 व कुआ 4041 स्थित है, जो कि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4042 के अतिरिक्त सिवायचक खसरा नम्बर पर भी का बिज चले आ रहे हैं अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व सकारी भूमि पर बाधा करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 4039 के पूर्व दिशा की तरफ रास्ता है जो कि प्रार्थी [illegible] के खेत खसरा नम्बर 4038 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:13:24 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आने–जाने के लिये है। खसरा नम्बर 4039, 4040 व 4041 पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है। उक्त आराजी जवाबकर्ता के खेत के लगवा है, जिसका उपयोग जवाबकर्ता कदीम से करते आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 4042 पर कभी भी दखलदांजी नही की है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 4042 रकबा 0.19 की आराजी प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। उक्त आराजी के सामने खसरा नम्बर 4039 व 4040 व कुआ 4041 स्थित है, जो कि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। तथा आराजी मुतनाजा व सिवायचक आराजी के समीप ही स्थित खसरा नम्बर 4038 अप्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी का है। प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष में मुख्य विवाद खातेदारी आराजी का नही होकर उसके पास स्थित सिवायचक खसरा नम्बर 4039 व 4040 व कुआ 4041 पर कब्जें को लेकर के है। दोनो ही पक्ष उक्त सिवायचक आराजी पर अपना–अपना कब्जा होने का कथन करते है। किन्तु सिवायचक आराजी पर उभयपक्ष को कोई हित व अधिकार निहित नही है। सिवायचक आराजी पर किसी पक्ष का कब्जा है तो भी वह अतिक्रमी की हैसियत से व अवैध है। खातेदारी भूमि की आड मे सिवायचक आराजी पर प्रार्थीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष में मुख्य विवाद खातेदारी आराजी का नही होकर उसके पास स्थित सिवायचक खसरा नम्बर 4039 व 4040 व कुआ 4041 पर कब्जें को लेकर के है। सिवायचक आराजी पर उभयपक्ष का कोई हक व अधिकार नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम नया गांव आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:13:24 IST
Reason: SelfAttested